

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
4, इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाणा डूंगरी, जयपुर ।

बिड संख्या संस्थापन/1/2018-19

दिनांक:

ई-निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाणा डूंगरी, जयपुर को 35 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर(मशीन विद मैन) किराये पर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्म/ठेकेदारों/संस्था/एजेन्सियों से नियमानुसार बिड आमंत्रित की जाती है।

क्र. स.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक(रु. में)	बयाना राशि (रु. में)	संविदा अवधि	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	बिड खोलने की दिनांक व समय
1	35- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन)	36,00,000	72,000	1 वर्ष	दिनांक 28.01.2019 को सांय 3.00 बजे तक	दिनांक 29.01.2019 को सांय 4.30 बजे तक

बिड प्रकाशन से दिनांक 28.01.2019 दोपहर 01.00 बजे तक निर्धारित निविदा शुल्क 1000/- रूपये जमा कराकर <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते है। शर्तें एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट एवं उपापन पोर्टल पर देखे जा सकते है। बिड प्रपत्र एवं बयाना राशि के बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा। बिना बयाना राशि के बिड स्वीकार्य नहीं होगी।

(के.सी.ए.अरुण प्रसाद)
सदस्य सचिव

क्रमांक: एफ. III (499)/रा.प्र.नि.मं./स्था./2018

दिनांक: 10/01/2019

प्रतिलिपी:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. मुख्यालेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त बिड को विभागीय वेबसाईट उपापन पोर्टल पर अपलोड करें।
4. सदस्य (बिड समिति), रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

(के.सी.ए.अरुण प्रसाद)
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
4, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, झालाणा डूंगरी, जयपुर ।

बिड संख्या संस्थापन/1/2017

दिनांक:


कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की किराये पर सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु बिड सूचना।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर मुख्यालय को 35 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की किराये पर सेवाओं की आवश्यकता है। उपरोक्त कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं/एजेन्सियों से दरें प्रस्तुत किए जाने के लिए बिड आमंत्रित की जाती हैं।

बिड प्रपत्र मय तत्संबंधी शर्तों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, के प्रधान कार्यालय, पता 4, सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर (दूरभाष संख्या 0141-5159600) से रूपये 1000/- नकद/डी.डी./बैंकर चैक के द्वारा भुगतान कर कार्यालय समय में दिनांक 28.01.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं। बिड प्रपत्र की राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम से होने चाहिए।

बिड के साथ अमानत राशि रूपये 72000/- (बहत्तर हजार) डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी आवश्यक होगी। बिड दिनांक ~~28.01.2019~~ को अपरान्ह 3.00 बजे तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में जमा करवाई जा सकती है। प्राप्त बिडें उपस्थित बिडदाताओं के समक्ष दिनांक 29.01.2019 को अपरान्ह 4.30 बजे खोली जावेगी।

बिड <http://www.rpcb.rajasthan.gov.in/> पोर्टल से भी डाउनलोड की जा सकती है। इस स्थिति में बिड प्रपत्र शुल्क की राशि रूपये 1000/- का बैंक ड्राफ्ट जो सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम देय हो बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।


(के.सी.ए.अरुण प्रसाद)
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, झालाणा ढूंगरी, जयपुर ।

बिड प्रपत्र

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवाएँ किराये पर ऐजन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु बिड—

1. बिडदाता/फर्म का नाम व पता: _____
(मय दूरभाष/मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल) _____
पते (यदि हो) सहित _____
 2. बिडदाता/फर्म का श्रम विभाग _____
में पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक: _____
 3. ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या _____
 4. पी.एफ. पंजीकरण संख्या _____
 5. बिडदाता/फर्म का सेवाकर पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक: _____
 6. बिड प्रपत्र देने का पता: सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
 7. संदर्भ — बिड सूचना 1/2018-19 दिनांक 28.01.2019
जमा कराने की तिथि अपरान्ह
3.00 बजे तक
खोलने की तिथि अपरान्ह
4.30 बजे
 8. राजकाम्प इनको सर्विस लिमिटेड (RISL) के
पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट रूपये 500/- प्रति निविदा (Process Fees)
 9. बिड शुल्क का विवरण — राशि रूपये 1000/-
नकद रसीद सं0 _____ दिनांक: _____
डी.डी. न0 _____ दिनांक: _____
बैंकर्स चैक: _____ दिनांक: _____
 10. अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बैंक का नाम

- जो सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जयपुर के पक्ष में देय हों का विवरण
- राशि रु. 72,000/- (बहत्तर हजार रूपये मात्र)
डी.डी./बैंकर्स चैक सं0 _____ दिनांक _____
बैंक का नाम _____
11. बिड के लिए मासिक प्रस्तावित दर
प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन)* :- (अंको में) — _____
(शब्दों में) — _____

12. बिडदाता का विवरण एवं
अनुभव प्रमाण पत्र

—बिड आवेदन कर्ता अपनी फर्म/एजेन्सी
का पूर्ण विवरण, कन्सटीट्यूशन एवं अनुभव
का पूर्ण विवरण मय तत्संबंधी प्रमाण पत्रों
के संलग्न करें।

13. मैंने/हमने बिड प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है।
हमे सभी शर्तें मान्य होने बाबत शर्तों पर सहमति के पश्चात् हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर बिडदाता

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4. इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना डूंगरी जयपुर।

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सेवायें किराये पर लेने के लिए मांगी जाने वाली बिड के लिए शर्तें:-

बिडदाता को इन शर्तों को सावधनीपूर्वक पढ लेना चाहिए एवं बिड भरते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। बिडदाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी बिड प्रस्तुत करने से पहले उसका सदस्य सचिव कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में मण्डल का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।


1. बिड प्रपत्र, निर्धारित शुल्क जमा कराकर वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के नाम करवाया जावेगा। बिड प्रपत्र पर प्रस्तुत दरें ही स्वीकार की जावेगी।
2. बिड की एक हार्डकॉपी ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर "संविदा पर रखे जाने वाले कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की बिड" अंकित कर उसे सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना, 4 संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को संबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक मण्डल कार्यालय में पहुँच जावे।
3. अमानत राशि तथा RISL की प्रोसेसिंग फीस के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैक बिड प्रपत्र के साथ **upload** करना अनिवार्य है, बिना अमानत राशि तथा RISL की फीस के प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डी.डी./बैंकर्स चैक, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम से देय होगा। राजकीय उपक्रम, निगम, स्वायत्तशासी निकाय जो सरकार, सरकारी उपक्रमों, संघ सरकार या राजस्थान सरकार की कम्पनियों द्वारा नियंत्रित/प्रबन्धित संस्थाओं को अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. सफल बिडदाता को बिड स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर स्वयं के खर्चे पर रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

5. बिड (ढेका) अनुढुदित हुने ढर जरी कऱर आदेश की तिथि के सऱत दिवस में वऱरुषिक ढेके की रऱशि के 5% के बरऱबर रऱशि ढुरतिभूति के रूढ में सदस्य सचिव, रऱज0 रऱज्य ढुरदूषण नियंत्रण ढण्डल के ढक्ष में डी.डी./बैंकर्स ङैक के रूढ में ढुरसुत करनी हुगी। ढुरतिभूति ढर किसी ढुरकऱर कऱ कोई ब्यऱज देय नही हुगऱ। ढेकऱ अवरधि ढूरुण हुने के ढश्कऱत ढेकऱ अवरधि में कऱर्य सनुतुषजनक हुने तथऱ किसी ढुरकऱर कऱ विवरऱद नही हुने की स्थिति में ढुरतिभूति रऱशि नियढऱनुसऱर वऱढिस लुढऱ दी जऱवेगी। बिडदऱतऱ ङऱहे तु अढऱनत रऱशि कु ढुरतिभूति रऱशि में सढऱयुऑित करऱ सकेगऱ।
6. निर्धऱरित अवरधि में अनुबन्ध नही करने अथवऱ ढुरतिभूति रऱशि जढऱ नही करऱने ढर उसकी जढऱ अढऱनत रऱशि जब्त करते हुये बिड निरस्त कर दी जऱवेगी ँव अन्ऱ बिडदऱतऱ की बिड स्वीकृत करने कऱ निर्णय लिया जऱ सकेगऱ।
7. ढुरत्येक बिडदऱतऱ के ढऱस सुङनऱ ढुरौघुगिकी अधिनियढ 2000 के तहत जऱरी डिऑितल ढुरढऱण ढुरत्र हुनऱ ऱवश्यक हुगऱ।
8. यह बिड केवल वही व्यक्ति/ढुर्ढ/संस्थऱँ ढुरसुत कर सकती है जिनकऱ ढंऑीयन शुरढ विढऱग, ऱयकर विढऱग ढी.ँफ. व ई.ँस.ऱई. में हु। सऱक्ष्य के रूढ में उक्त ढंऑीयन ढुरढऱण ढुरत्रुु की फुतु ढुरतियुु बिड के सऱथ upload करना अनिवऱर्य है। बिनऱ ढंऑीयन ढुरढऱण ढुरत्रुु के ऱवेदन करने वऱली ढुर्ढ/व्यक्ति/संस्थऱऱु की बिड कु निरस्त सढऑऱ जऱवेगऱ।
9. कढुडूतर ढय ऱऑढरेटर (ढशीन विद ढैन) किरऱये ढर कऱर्य अवरधि कऱ ढेकऱ स्वीकृति दिनऱंक से 1 वरुष की अवरधि के लिए हुगऱ। कऱर्य संतुषढुरद हुने ढर ऱऱढसी सहुढति से ऱगे बढऱयऱ जऱ सकेगऱ।
10. कढुडूतर ढय ऱऑढरेटर (ढशीन विद ढैन) की संख्यऱ व युुग्यतऱ विवरण –
 - कढुडूतर ढय ऱऑढरेटर (ढशीन विद ढैन) की संख्यऱ :– लगढग 35
 - कर्ढी की युुग्यतऱ :–
 - (i) कढुडूतर ऱऑढरेटर की न्यूनतढ शूक्षणिक युुग्यतऱ सुनऱतक हुनी ङऱहिए। उसे विनुडुऑ/लऱइनेक्स ँनुऱयरढेनुत (Windows/Linux environment) ऱऑढरेटिंग सिस्टढ कऱ ऑऱन, वर्ड ढुरुसेसर, स्प्रेड शीट व इनुतरनेट कऱ ऑऱन/अनुढव ँव कऱर्यऱलय संबन्धी कऱर्युु के निष्ऱदन हेतु कढुडूतर ढर कऱर्य करने तथऱ हिनुदी ँव अंगुरेऑी की टऱईढिंग कऱ ऑऱन हुनऱ ऱवश्यक है।
 - (ii) कर्ढी सुवस्थ्य ँव न्यूनतढ ऱयु 18 वरुष की हुनी ङऱहिए।
11. ढशीनुु कऱ विवरण– बिडदऱतऱ दुवऱरऱ स्थाढित की जऱने वऱली ढशीनुु कऱ निढुनऱनुसऱर यऱ इससे उङङ शुरेणी कऱ हुनऱ ऱवश्यक है–
 - (D) **Computer-** Intel Core i3/ Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15” Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer,

Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of Software license will be borne by the contractor.

- (E) **Printer-** Black and White laser printer with speed 15ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/ inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.
- (F) **UPS-** Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.
12. बिडदाता एजेन्सी को वर्तमान में उसके पक्ष में जारी सभी अनुबन्धों का पूर्ण विवरण देना होगा।
 13. बिडदाता एजेन्सी उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में 15 दिन पूर्व सूचना देकर बदलाव कर सकेगा। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गए कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में कुल उपलब्ध कराये गये ऑपरेटर्स की संख्या के 20 प्रतिशत तक स्थायी बदलाव किया जा सकेगा। इससे अधिक स्थायी बदलाव करने से पूर्व मण्डल की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
 14. सभी कम्प्यूटर्स ऑपरेटर्स को आई डी कार्ड एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये जावें तथा कार्यालय समय में सभी कम्प्यूटर्स ऑपरेटर्स को आई डी कार्ड साथ रखना आवश्यक होगा।
 15. सभी कम्प्यूटर्स ऑपरेटर्स अपने सभी दस्तावेज व तकनीकी योग्यता की जांच सक्षम अधिकारी से कराने के पश्चात् मण्डल की लिखित अनुमति के पश्चात् ही ड्यूटी पर माने जावें।
 16. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।
 17. सफल बिडदाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो कार्यादेश जारी होने की तिथी के 5 दिनों के अन्दर-अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होंगे।
 18. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी F9 (1) FD-1 (1) Bud 2000 Dated: 28.07.2008 तथा Dated: 01.05.2014 के अनुरूप होगी (संलग्न)।
 19. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

20. यदि बिडदाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो बिडदाता संस्था/एजेन्सी ही उसके लिए उत्तरदायी होगी। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिए किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
21. उक्त बिड में भाग लेने वाली फर्म/ एजेन्सी को इस क्षेत्र में (राजकीय/अर्द्ध राजकीय/राज्य शासित निकायों) न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इसके लिये अनुभव एवं किये गये कार्यों का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। बिना अनुभव प्रमाण पत्रों के बिड निरस्त योग्य होगी।
22. बिडदाता ऑपरेटर के पारिश्रमिक से पी.एफ. की राशि स्वयं के स्तर पर काटेगा तथा कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की राशि भविष्य निधि पी.एफ. जमा कराए जाने के साक्ष्य यथा चालान मय ई.सी.आर. की प्रति पिछले माह की आगामी बिल के साथ मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात् ही आगामी महिनों के बिल पारित किये जाना सम्भव हो सकेगा।
23. उपलब्ध करवाए गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स में समस्त को हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है एवं कम से कम 10 ऑपरेटर्स को हिन्दी(मंगल फोन्ट) का ज्ञान आवश्यक रूप से होना चाहिये।
24. मण्डल को 35 कम्प्यूटर मय आपरेटर की आवश्यकता है। फिर भी आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की संख्या में कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय का होगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में मैन विद मशीन कार्यादेश देने के 3 दिवस में उपलब्ध कराना होगा।
25. किसी भी बिड को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के अध्यक्ष/ सदस्य सचिव को होगा।
26. बिड के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपरोक्त विवाद का निर्णय मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए राज्य मण्डल के अध्यक्ष मध्यस्थ होंगे। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।
27. यदि कोई कम्प्यूटर ऑपरेटर माह में चार दिवस से अधिक अनुपस्थित रहता है तो 200/- रूपये प्रतिदिन शास्ति के बिल में से काटे जावेंगे।


 (के.सी.ए.अरुण प्रसाद)
 सदस्य सचिव